रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1047] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2009/आषाढ़ 18, 1931

No. 1047] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2009/ASADHA 18, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2009

का.आ. 1675(अ).—जबकि भारत सरकार के एक आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के सं. का.आ. 156(अ) द्वारा गुजरात राज्य केन्द्रीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए किया था बाद में प्राधिकरण की अवधि तीन वर्ष बढ़ा दी गई थी और उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाए;

अतः अब पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करते हुए इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गुजरात तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) का गठन करती है :—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय गांधी नगर —अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग और खान विभाग, सचिवालय, गांधी नगर —सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग, सचिवालय, गांधी नगर । —सदस्य
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, गांधी नगर —सदस्य
5. वाइस चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैरीटाइम बोर्ड, गांधी नगर । —सदस्य
6. सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधी नगर । —सदस्य
7. मुख्य टाऊन एंड कंट्री प्लानर, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, गुजरात राज्य सरकार, गांधी नगर —सदस्य
8. मत्स्य उद्योग आयुक्त, गुजरात राज्य, गांधी नगर —सदस्य
9. निदेशक, सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमीकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि —सदस्य
10. निदेशक, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि । —सदस्य
11. श्री टी.पी. सिंह, निदेशक, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफोमेंटिक्स, मैटिक्स, गांधी नगर । —सदस्य
12. डॉ निखिल देसाई, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ोदरा । —सदस्य
13. श्री सी.एन. पांडे निदेशक, गुजरात ईकोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, गांधी नगर —सदस्य
14. श्री राजेश आई शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी, विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद —सदस्य
15. निदेशक (पर्यावरण) वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार । —सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को गुजरात राज्य के क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की सुरक्षा करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(i) गुजरात राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंधन योजना के वर्गीकरण के संबंध में परिवर्तन करने अथवा संशोधन करने संबंधी प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को विशिष्ट सिफारिशें करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा किसी अन्य कानून, जिसका उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संबंध है, के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विशेष मामले में आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उस सीमा तक निर्देश जारी करना जिसमें ऐसे निर्देश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशेष मामले में जारी किए गए किसी निर्देश से असंगत न हों ।

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा किसी अन्य कानून, जिसका उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संबंध है, के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का पुनरीक्षण करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण के लिए टिप्पणियों सहित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को भेजना ।

बशर्ते कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों पर अपनी ओर से अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी प्रतिनिधिक निकाय अथवा किसी संगठन की शिकायत के आधार पर विचार करना ।

(iii) इस आदेश के उप पैराओं (i) और (ii) के अंतर्गत उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करना ;

(iv) इस आदेश के उप-पैराओं (i) और (ii) के फलस्वरूप उत्पन्न संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कार्रवाई करना;

III. प्राधिकरण द्वारा तटीय विनियमन जोन से संबंधित उन पर्यावरणीय मामलों पर कार्रवाई की जाएगी जो गुजरात राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे भेजे जाएंगे ।

IV. प्राधिकरण द्वारा तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और ऐसे अधिनिर्धारित क्षेत्रों विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाएगी ।

V. प्राधिकरण द्वारा अपरदन अथवा अवक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान की जाएंगी तथा ऐसे अधिनिर्धारित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाएंगी ।

VI. प्राधिकरण द्वारा तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इसके संबंध में एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाएगी ।

VII. प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त पैरा iv, v और vi के अंतर्गत तैयार योजनाओं तथा उनमें किए गए संशोधनों को जांच और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ।

VIII. प्राधिकरण द्वारा गुजरात की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना में उल्लिखित विशेष शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

IX. प्राधिकरण द्वारा अपनी गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट छह महीने में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

X. प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य शामिल हों ।

XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XII. प्राधिकरण का मुख्यालय गांधी नगर में होगा ।

XIII. कोई मामला जो विशेष रूप से प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं आता हो, उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा देखा जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/30/99-आई ए-III]

डॉ नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2009

S.O. 1675(E).—Whereas, by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, Number S.O. 156(E), dated the 3rd February, 2005, the Central Government reconstituted the Gujarat Coastal Zone Management Authority for a period up to 31st March, 2005 with effect from the date of publication of the order in the Official Gazette and subsequently, the term of the Authority was extended for period of three years and the said term has been expired;

And, whereas, the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Gujarat Coastal Zone Management Authority, consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

1. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary, Forests and Environment Department, Government of Gujarat, Sachivalaya, Gandhinagar —Chairman
2. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary, Industries and Mines Department, Sachivalaya, Gandhinagar —Member
3. The Additional Chief Secretary or Principal Secretary, Urban Development and Urban Housing Department, Sachivalaya, Gandhinagar —Member
4. The Principal Chief Conservator of Forests, Gandhinagar —Member
5. The Vice-Chairman and Chief Executive Officer, Gujarat Maritime Board, Gandhinagar —Member
6. The Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, Gandhinagar —Member
7. The Chief Town and Country Planner, Town and Country Planning Organization, State Government of Gujarat, Gandhinagar —Member
8. The Commissioner of Fisheries, Gujarat State, Gandhinagar —Member
9. The Director, Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar or his representative —Member
10. The Director, Space Application Centre, Ahmedabad or his representative —Member
11. Shri. T. P. Singh, Director, Bhaskaryachay Institute of Space Application and Geoinformatics, Gandhinagar —Member
12. Dr. Nikhil Desai, Geology Department, M. S. University, Vadodara —Member
13. Shri C.N. Pandey, Director, Gujarat Ecological Education and Research Foundation, Gandhinagar —Member
14. Shri Rajesh I. Shah, Managing Trustee, VIKAS Centre for Development, Navrangapura, Ahmedabad —Member
15. The Director (Environment), Forests and Environment Department, Government of Gujarat —Member Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Gujarat, namely :—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Gujarat State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under classes (a) and (b) of sub-paragraph may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) Filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Gujarat the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Gujarat.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII. The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar.

XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/30/99-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.